दिनांक 15.03.2021

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र टी.आई. पर सुनी गई। मूलवाद विभाजन से सम्बन्धित है जिसके कम में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा अप्रार्थी का निहित है। वाद अधीन भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है तथा प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पूर्व से प्रभावी है। अतः चुँकि प्रार्थी का भूमि में 1/2 हिस्सा अभिलिखित है तथा भूमि का विधिक विभाजन भी नहीं हुआ है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के संदर्भ में कोई मान्य आपत्ति अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे प्रथम दृष्ट्या सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध प्रतीत होता है। अतः वाद बहुलता के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि आ.ख.न. 930/1095, 932, 962/1146, कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 0.73 है. वाके ग्राम महेशवाश कलां तहसील आमेर जिला जयपुर की रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। निर्णय सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील संलग्न मूलवाद हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.03.31 11:37:53 IST
Reason: SelfAttested